Office Of District Magistrate, Faridabad.
जिलाधीश कार्यालय, फरीदाबाद

आदेश

हरियाणा महामारी रोग कोविड–19 अधिनियम, 2020 दिनांक 11.03.2020 के तहत हरियाणा सरकार द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के तहत सगंठित हरियाणा आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 अन्तर्गत कोविड–19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है।

फरीदाबाद नगर के औद्योगिक/व्यवसायिक/वाणिज्यक गतिविधियो के केन्द होने के कारण यहां पर लाखो की संख्या में कर्मचारी/मजदूर विभिन्न कम्पनियो मे कार्यरत है जिनमें अधिकांश लोग किरायो के घरो में रह रहे है। कोविड–19 महामारी के कारण जिला फरीदाबाद की वर्तमान परिस्थितियो के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि ऐसे लोगो को पूरी आवासीय सुरक्षा मिलनी चाहिये किन्तु प्रशासन के संज्ञान में यह आ रहा है कि जिलें के भवन स्वामियो द्वारा ऐसे लोगो से भवन का किराया लेने के लिये बाध्य किया जा रहा है जिसके कारण ये लोग अपने मकानो को छोडकर अपने मूल स्थानों के लिये जाने को विवश हो रहे है। इस स्थिति से जिलें में दो प्रकार की विकट स्थितियां उत्पन्न हो रही है।

1 ऐसे मजदूर/कर्मचारी जिलें के विभिन्न मार्गो पर आकर अपने–अपने गृह जिलों को लॉक डाउन होने के कारण जाने के लिये विवश हो रहे है जिससे कोरोना वायरस के फैलने की सम्भावना और भी अधिक होती जा रही है।

2 ऐसे कर्मचारी/मजदूर जो आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन/वितरण से जुडे हुए है, के अपने गृह जिलें की ओर प्रस्थान के लिये विवश करने के कारण

District Magistrate Faridabad (Hr.)

Office District Magistrate Office, 1st Floor, Mini Secretariat, Sector 12, Faridabad
कार्यालय जिलाधीश कार्यालय प्रथम तल, लघु सचिवालय, सैक्टर 12, फरीदाबाद।
Teliphone No. 0129-2227936, Email-Id: -dcfbd@hry.nic.in

Scanned with CamScanner

Office Of District Magistrate, Faridabad.
जिलाधीश कार्यालय, फरीदाबाद

जहां एक ओर इन आवश्यक वस्तुओ का उत्पादन/वितरण बाधित हो रहा है वही दूसरी ओर यह स्थिति वर्तमान परिस्थितियो को और भी ज्यादा प्रभावित कर प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न कर सकती है।

उक्त परिस्थितियो की संवेदनशीलता के दृष्टिगत मैं यशपाल, भा0प्र0से0, जिलाधीश राष्ट्रीय आपदा प्रबधन अधिनियम–2005 की धारा–30 में निहित प्रावधानो के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो तथा भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40–3/2020–डी0एम0–I (ए0) दिनांक 29.03.2020 व मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 41/14/2016–5 पी0ओ0एल0 दिनांक 28.03.2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशो की पालनार्थ तत्काल प्रभाव से आदेश देता हूँ कि जिला फरीदाबाद नगर के भवन स्वामियों द्वारा जिलें के किसी भी मजदूर/कर्मचारी, जो जिलें की विभिन्न ईकाईयो/कम्पनियो/कार्यालयों में कार्यरत है, से आवासीय भवन किराये की मांग एक माह तक किसी भी दशा में नहीं की जायेगी। यह वांछित आवासीय भवन किराया आदेश की तिथि से एक माह के उपरान्त ही लिया जायेगा।

जिलें के किसी भवन स्वामी द्वारा यदि इन आदेशों का उल्लंघन किया जायेगा तो उसके विरूद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसमें एक वर्ष तक की सजा या अर्धदण्ड या दोनो हो सकता है और यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान–माल की क्षति होती है तो यह सजा दो वर्ष तक भी हो सकती है। यदि किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना

District Magistrate
Faridabad (Hr.)

Office District Magistrate Office 1st Floor Mini Secretariat Sector 12 Faridabad
कार्यालय जिलाधीश कार्यालय प्रथम तल, लघु सचिवालय, सैक्टर 12, फरीदाबाद।
Telphone No 0129-2227936, Email-Id -dcfbd@hry.nic.in

Scanned with CamScanner

Office Of District Magistrate, Faridabad.
जिलाधीश कार्यालय, फरीदाबाद

जिलें के कोविड–19 कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नं0 0129–2221000 पर दी जा सकती है।

पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद उक्त आदेश की पालनार्थ हेतू जिला फरीदाबाद की सभी सीमाओ पर जाचें नाके लगाए।

सभी Incident commander अपने अलाट किए गए क्षेत्राधिकार मे उक्त आदेश की दृढता से पालना कराए।

उक्त आदेश जिला फरीदाबाद के लिये तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

District Magistrate ★ Faridabad (Hr.) ★ सत्यमेव जयते

(यशपाल)
जिलाधीश, फरीदाबाद।

पृ0 क्र0 21495 /एम0ए0 दिनांक 29-03-20

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव हरियाणा सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार चण्डीगढ।
3. आयुक्त, फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद।
4. उपमण्डल अधिकारी (ना0), फरीदाबाद/बडखल/बल्लबगढ।
5. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, फरीदाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त आदेश की समस्त जिला फरीदाबाद मे लाउड स्पीकर व प्रचार वाहन द्वारा प्रचार किया जाना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, फरीदाबाद।

कृते: जिलाधीश, फरीदाबाद।

Office District Magistrate Office 1st Floor Mini Secretariat Sector 12 Faridabad
कार्यालय जिलाधीश कार्यालय प्रथम तल, लघु सचिवालय, सैक्टर 12 फरीदाबाद।
Telephone No 0129-2227936, Email-Id -dcfbd@hry.nic.in

Scanned with CamScanner